धारा 50(4) के अंतर्गत आवेदित प्रकरणों के साथ संलग्न दस्तावेजों की चेक लिस्टः–

भाग–1 (अधिनियम/नियम अनुसार आवश्यक)

1.1 यदि भूमि शासन द्वारा आवंटित है तो आंवटन आदेश की छाया प्रति ।
1.2 बोर्ड निर्णय की प्रति
1.3 शासन से 50(1) के अन्तर्गत प्राप्त अनुमोदन
1.4 खसरा अक्स मय बटांकन(प्रमाणित मूल प्रति) ।
1.5 आवेदित भूमि का विकास योजना में भूमि उपयोग (भूमि उपयोग प्रमाण पत्र) ।
1.6 विकास के प्रस्ताव संबंधी विस्तृत रिपोर्ट ।(नियम 16 (1)(क) अनुसार)
1.7 प्रश्नाधीन भूमि का निर्देशक रेखांक (की प्लान) नियम 16(3) अनुसार 1:10000 के मान से (अभिन्यास का भाग) ।
1.8 प्रश्नाधीन भूमि का स्थल रेखांक/साईट प्लान नियम 16 (4) (क) से (ठ) के अनुसार (10 हेक्टेयर तक 1:1000 व उस से बड़े स्थल के लिए 1:2000 के मान से) ।
1.9 सर्विस प्लान–
   अ वाटर सप्लाई प्लान नियम 16 (7) अनुरूप।
   ब. सर्विस प्लान– सीवेज/सीवरेज प्लान/जल निकास नियम 16 (7) अनुरूप।

1.10 प्रश्नाधीन भूमि के अभिन्यास रेखांक (ले आऊट प्लान) नियम 16 (5)(क) से (ज) में सम्मिलित अनुसार (1:500) के मान से यदि भूमि का आकार बड़ा हो तो 1:1000 के मान से कार्यालय प्रमुख द्वारा अभिप्रमाणित ।
1.11 नियम 16 (5)(ज) के अनुरूप रेन वाटर हारवेस्टिंग के उपायों की व्यवस्था ।
1.12 पार्किग संबंधी गणना तथा पार्किंग दर्शाने वाला अभिन्यास जिसमें गाड़ियों की संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो ।
1.13 मानचित्रों एवं आवेदन में उल्लेखित दस्तावेजों की साफ्ट कापी (सी.डी.) कार्यालय द्वारा चाहे जाने वाले फार्मेट (मानचित्र डॉट डीडब्ल्यू.जी) ।

ऊँचे भवनों की दशा में अतिरिक्त जानकारी–

1.14 ऊँचे भवनों के संबंध में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी, अर्थात् :–
1.15 नगरीय आयोजना– विकास योजना के अनुसार भूमि का उपयोग परिक्षेत्रिक योजना (यदि कोई हो) के अनुसार भूमि का उपयोग, अभिन्यास रेखांक (लेआउट प्लान) (यदि कोई हो) के अनुसार भूमि का उपयोग, प्रस्तावित घनत्व ।
1.16 यातायात आयोजना– विद्यमान सड़क की चौड़ाई
प्रस्तावित चड़क की चौड़ाई

प्रवेश तथा निर्गम की व्यवस्था

सेवा मार्ग की व्यवस्था
भूखण्ड तथा उससे संलग्न क्षेत्रों की व्यापक परिसंचारण योजना,
यानों की पार्किंग के लिये व्यवस्था

1.17 अग्निरोध, अग्नि शमन तथा अग्नि सुरक्षा योजना
अग्नि का पता लगाने तथा अग्नि शमन व्यवस्थाओं के ब्यौरें

1.18 सेवाओं की योजना–
आंतरिक जल, गंदी नाली (सीवरेज) जल निकास, बिजली (पावर), दूर संचार, कूड़ा व्ययन(गारबेज डिस्पोजल) तथा सामान्य स्थानों की सफाई (स्केवजिंग), परिधीय जल (पेरिफेरियल वाटर), ट्रंक वाटर,

1.19 स्थापत्य, प्रत्येक तल के रेखांक, अनुप्रस्थ काट की आवश्यक संख्या, प्रत्येक बाजू की ऊॅंचाई (इलेवेशन), प्रसाधन खण्डों तथा रसोई के ब्यौरे,भू दृश्यकरण (लेंडेस्कपिंग) तथा वृक्षारोपण के ब्यौरे, विद्युत खम्भों से बिजली संयोजनों (पावर कनेक्शन) की प्रणाली, टेलीफोन के खम्बे, कूड़ादानों क्रमांकन, विभिन्न यानों की पार्किंग, नालियों, ओवर हेड टैंक, भूमिगत जल टैंक को आवृत्त करना.

भाग–2 (संचालनालय द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार)

2.1 गूगल मानचित्र पर प्रश्नाधीन भूमि लाल रंग से अंकित कर ।

2.2 भूमि की सीमांकन रिपोर्ट (चर्तुसीमाओं सहित) तहसीलदार द्वारा सत्यापित सीमांकन मानचित्र मय फील्डबुक, पंचनामा एवं प्रतिवेदन सहित (स्पष्ट प्रति)।

टीप :– नियम का आशय मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012